न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 297/2024

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रामुराम पुत्र झीपाराम जाट (निवासी ग्राम लवेरा खुर्द, तहसील बावडी, जिला जोधपुर)		1. पन्नाराम पुत्र झीपाराम जाट निवासी ग्राम लवेरा खुर्द, तह0 बावड़ी, जिला जोधपुर 2. भागीरथ राम उर्फ भागूराम पुत्र मोतीराम जाट, निवासी ग्राम लवेरा खुर्द, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर 3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी (जोधपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.07.2018 तहसीलदार बावड़ी (जोधपुर) राजस्व प्रकरण (वसीयत) संख्या 08/2016 (पुराने प्रकरण सं0 02/2013) बअनवान पन्नाराम बनाम रा0 सरकार एवं कन्सोलिडेट प्रकरण संख्या 02/2016 बअनवान भागीरथ उर्फ भागूराम बनाम सरकार

उपस्थित–
1. श्री सांगाराम चौधरी, वकील अपीलांट
2. श्री प्रेमसिंह पूनिया, वकील रेस्पो0सं0 1
3. श्री महेन्द्र चौधरी, वकील रेस्पो0सं0 2
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 3

निर्णय

दिनांक 9 .12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने तहसीलदार बावड़ी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2018 (पुराने प्रकरण सं0 02/2013) एवं कन्सोलिडेट प्रकरण संख्या 02/2016 (वसीयत) में अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 20.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–पन्नाराम ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावडी के समक्ष अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो पूर्व में दर्ज प्रकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संख्या 02/2013 दिनांक 13.05.2013 को निर्णित किया जाकर, आदेश में यह अंकन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ में विचाराधीन प्रकरण संख्या 156/2007 अनवान रामुराम बनाम पूनाराम वगैरा अन्तर्गत राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मूलवाद संख्या 206/2012 के निर्णयोपरांत उक्त पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

प्रार्थी–पन्नाराम ने दिनांक 20.6.2018 को न्याय आपके द्वारा 2018 केम्प कजनाऊ कलां में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के प्रकरण संख्या 156/2007 व मूलवाद प्रकरण संख्या 206/2012 के निर्णय की प्रतियां प्रस्तुत कर नामान्तरकरण पारित करने हेतु आग्रह किया गया, जिस पर पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाकर प्रकरण संख्या 08/2018 दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त पत्रावली में पारित आदेशिका दिनांक 12.07.2018 के अनुसार इस मामले में विचाराधीन एक अन्य राजस्व प्रकरण संख्या 02/2016 बअनवान भागीरथराम उर्फ भागूराम को राजस्व प्रकरण संख्या 08/2018 के कन्सोलिडेट किया गया। दोनो ही प्रकरणों यथा 02/2016 एवं 08/2018 (पूर्व प्र0सं0 02/2013) में संयुक्त निर्णय पारित किया गया।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के नामान्तरकरण को लेकर दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए। इनमें से प्रार्थी पन्नाराम पुत्र झींपरराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह आग्रह किया कि तहसील बावडी की राजस्व सीमा में स्थित ग्राम लवेरा खुर्द के कृषि भूमि ख0नं0 291 रकबा 15.14 बीघा, ख0नं0 431 रकबा 12.16 बीघा, ख0नं0 525 रकबा 23.12 बीघा, ख0नं0 527 रकबा 07.03 बीघा, ख0नं0 584 रकबा 11.08 बीघा, ख0नं0 724 रकबा 03.02 बीघा, ख0नं0 740 रकबा 02.01 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार पूनाराम पुत्र लिखमाराम जाट निवासी ग्राम लवेरा खुर्द द्वारा अपने जीवन काल में दिनांक 03.10.2007 को पन्नाराम के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया, जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है। खातेदार पूनाराम का देहान्त दिनांक 22.12.2011 को हो गया है तथा यह पूनाराम की प्रथम व आखरी वसीयत है। अतः वसीयतनामा के आधार पर उक्त आराजी का नामान्तरकरण वसीयतग्रहीता–पन्नाराम के नाम स्वीकृत कराने का निवेदन किया गया। जो दर्ज रजिस्टर कर, दिनांक 25.03.2013 को आम सूचना का दैनिक समाचार पत्र–राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन करवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जिस बाबत रामुराम व सुखाराम पिसरान ग्रीपरराम जाति जाट, निवासी लवेराखुर्द अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान कलमबद्ध करवाये गये। वसीयतनामा में वर्णित गवाह 1—नेनाराम पुत्र गोपाराम जाट व 2—शेराराम पुत्र देवाराम जाट दोनो निवासी ग्राम लवेरा खुर्द के बयानात कलमबद्ध किए गये तथा लाबूराम पुत्र गोपाराम, रूघाराम पुत्र नख्ताराम, सोहनराम पुत्र पाबूराम, गंगाराम पुत्र देवाराम, नरसिंगराम पुत्र बींजाराम, मालजी पुत्र मोतीजी, धूड़ाराम पुत्र गंगाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम लवेरा खुर्द के भी बयानात कलमबद्ध किए गये। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ वसीयतनामा दिनांक 03.10.2007, खातेदार पूनाराम का मृत्यु प्रमाण—पत्र व नोटेरी पब्लिक रामसिंह राठौड़ के मृत्यु प्रमाण—पत्र दिनांक 17.05.2009 की फोटो प्रतियां तथा वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2059—62 तथा समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना की प्रति व खतौनी बंदोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपी व ग्राम पंचायत खेड़ापा द्वारा दिनांक 15.02.2013 को जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया।

द्वितीय प्रार्थना पत्र में प्रार्थी—भागीरथराम उर्फ भागूराम पुत्र मोतीराम द्वारा यह आग्रह किया कि खातेदार—पूनाराम की उपरोक्त वर्णित हिस्सेनुसार खातेदारी भूमि का पूनाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.09.2010 को एक वसीयतनामा प्रार्थी—भागीरथराम के पक्ष में निष्पादित किया गया, जो नोटेरी पब्लिक रामसिंह राठौड़ से तस्दीक शुदा है। पूनाराम का देहांत दिनांक 22.12.2011 को हो गया। यह पूनाराम की प्रथम व आखरी वसीयत है। अतः वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण वसीयतग्रहीता—भागीरथराम के नाम स्वीकृत कराने का निवेदन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मृतक खातेदार—पूनाराम का मृत्यु प्रमाण—पत्र व वसीयतनामे की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। जो दर्ज रजिस्टर कर गवाहान—इराराम पुत्र प्रभुराम स्वयं, भागूराम पुत्र मोतीराम, हरदीनराम पुत्र किसनाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम लवेरा खुर्द के बयान कलमबद्ध किये गये तथा हल्का पटवारी से मौका फर्द रिपोर्ट तलब की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन दोनों पत्रावलियों में बाद सुनवाई, पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 20.07.2018 के विवेचन में वादग्रस्त आराजी को वक्त सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2011—30 के अनुसार मृतक खातेदार पूनाराम की स्वअर्जित सम्पति होना मानते हुए प्रार्थी—पन्नाराम के हक में की गई वसीयत को किसी भी न्यायालय में चुन्नौति देकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खारिज नही किये जाने से इसे मृतक खातेदार–पूनाराम द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 03.10.2007 को प्रथम व आखरी वसीयत मानने का प्रर्याप्त आधार माना गया। द्वितीय प्रार्थी–भागीरथराम उर्फ भागूराम द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 22.09.2010 में नोटेरी पब्लिक रामसिंह राठौड़ का, प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 17.05.2009 के अनुसार देहांत हो जाने से, इसे संदेहप्रद मानते हुए खारिज कर दिया गया। निर्णय में यह भी विवेचित है कि प्रार्थी–पन्नाराम द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा को लेकर दिनांक 13.05.13 को पारित निर्णय में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया है, कि पन्नाराम ने अपने द्वारा प्रस्तुत वसीयत को संदेह से परे साबित किया है तथा वसीयतनामा में जो गवाह शेराराम उपस्थित था, उसने भी पुष्टि की है, अन्य गवाह जो पन्नाराम के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को गलत बताते है, वह प्रार्थी–भागीरथराम के हितबद्ध गवाह है, जिससे उनके उपर विश्वास नही किया जा सकता है। भागीरथराम द्वारा प्रस्तुत वसीयत का पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ में विचाराधीन रहे राजस्व वाद संख्या 128 / 2007 (206 / 2012) में भी किसी प्रकार का अंकन अपने जवाब दावे में या अपनी पैरवी में नहीं किया गया। पन्नाराम द्वारा आम सूचना समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने के बाद भी अपना उज्र पेश नही किया। भागीरथराम वसीयत को अपने पक्ष में दिनांक 22.9.2010 को निष्पादित होना बताते है, लेकिन दिनांक 13.05.2013 को प्रकरण संख्या 02 / 2013 (नये नम्बर) में जब निर्णय पारित किया जाता है, तब तक भी वसीयतनामा पेश नही किया गया। इसलिए प्रार्थी–पन्नाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी–भागीरथराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में स्वर्गीय पूनाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर पन्नाराम पुत्र झीपरराम के नाम से नामांतरण इन्द्राज करने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–रामुराम ने आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहत अपर जिला कलेक्टर जोधपुर (द्वितीय) में अपील प्रस्तुत करने के पश्चात नव–सृजित जिला जोधपुर ग्रामीण के अस्तित्व में आ जाने से पत्रावली अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) में दर्ज राजस्व अपील संख्या 119 / 2023 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2024 द्वारा आरएलआर एक्ट की धारा 135(2) के तहत पारित आदेश की अपील धारा 75 के तहत न्यायालय संभागीय आयुक्त को होने से, अपीलार्थी वांछित अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के आशय से खारिज कर दी गई। जो परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के अनुसार बिना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन होने से अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष रेस्पो0–प्राथी–पन्नाराम व भागीरथराम तथा सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 व 14 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किए गये, जो न्यायहित में स्वीकार कर, प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट–रामूराम एवं रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–पन्नाराम एवं इनके भाई सुखाराम व मोतीराम पिसरान झीपरराम तथा पूनाराम पुत्र लिखमाराम की खातेदारी व कब्जाकाश्त कृषि भूमि ख0नं0 ख0नं0 291, 431, 525, 527, 584, 724, 740, 433 व 570 कुल खसरान 9 कुल रकबा 83.10 बीघा भूमि ग्राम लवेरा खुर्द तहसील बावड़ी में स्थित है। जिसमें अपीलांट के पिता झीपरराम पुत्र लिखमाराम का 1/2 हिस्सा तथा पूनाराम पुत्र लिखमाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज था। पूनाराम लाऔलाद दिनांक 22.12.2011 को फौत हो जाने के कारण इनके प्रथम श्रेणी के वारिसान/उत्तराधिकारी नही होने के कारण, इनके भाई झीपरराम के वारिसान अपीलांट एवं रेस्पो0 (रामूराम एवं पन्नाराम) तथा इनके भाई मोतीरान व सुखाराम द्वितीय श्रेणी के वारिसान/उत्तराधिकारी की हैसियत से एकमात्र मालिक व मौके पर काबिजकाश्त चले आ रहे है।

अपीलांट–रामूराम ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि के विभाजन घोषणा एवं स्थाई निशेधाज्ञा का एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर (जोधपुर) में दिनांक 01.10.2007 को प्रस्तुत किया व इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत टी.आई. प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के पश्चात राजस्व मूल वाद नव–सृजित उपखण्ड कार्यालय बावड़ी में अंतरित होने से राजस्व मूल वाद संख्या 206/2012 तथा राजस्व विविध वाद संख्या 156/2007 दर्ज किया गया तथा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 14.03.2008 को करते हुए उपखण्ड अधिकारी पीपाड भाहर द्वारा इसे स्वीकार कर स्थगन आदेश पारित किया गया। इसके बावजूद खातेदार–पूनाराम ने अपने हिस्से की कृषि भूमि ख0नं0 433 व 570 में से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बेचान करते हुए बेचाननामा [illegible] पुत्र नेनाराम जाट एवं श्रवणराम पुत्र मगनाराम निष्पादित कर दिए जाने पर, अपीलांट रामूराम ने माननीय जिला न्यायालय जोधपुर में उक्त बेचाननामा निरस्त करने का वाद प्रस्तुत किया गया, जो मूल वाद संख्या 133/2011 रामूराम बनाम पूनाराम व अन्य स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 24.12.2011 द्वारा उक्त बेचाननामा निरस्त किया गया।

मृतक पूर्व खातेदार पूनाराम ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति के हक में वसीयतनामा निष्पादित नही किया गया। रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–पन्नाराम ने कूटरचित फर्जी वसीयतनामा दिनांक 03.10.2007 को अपने पक्ष में होना बताते हुए पूनाराम का दिनांक 22.12.2011 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनके हिस्से की 1/2 भाग भूमि को हड़पने की नियत से रेस्पो0सं0 3–तहसीलदार बावड़ी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वसीयतनामें के आधार पर अपने हक में नामान्तरकरण पारित करने हेतु आग्रह किया गया। दर्ज प्रकरण संख्या 02/2013 में जरिये समाचार पत्र वसीयतनामें पर आपत्तियां आमंत्रित की गई, जिस पर अपीलांट–रामूराम ने दिनांक 05.04.2013 को लिखित में आपत्तियां पेश कर, फर्जी वसीयतनामें के आधार पर ना0क0 पारित नही करने एवं पूनाराम के स्वर्गवास के पश्चात उनके खातेदारी हक–हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट एवं अपीलांट के भाईयों का संयुक्त रूप से पारित करने का आग्रह किया गया। जिस रेस्पो0सं0 3–तहसीलदार ने प्रस्तुत वसीयतनामा पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सावित नही होना मानते हुए दिनांक 13.05.2013 को वसीयतनामें को मानने से इन्कार नही किया जा सकने, लेकिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के स्थगन होने के कारण अग्रिम आदेश पारित किया जाना उचित एवं संभव नही होने का आदेश पारित किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते रेस्पो0सं0 2–भागीरथराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के वसीयतनामें के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण संख्या 02/2016 दर्ज किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की सूचना का प्रकाशन नह करवाया गया और न ही आपत्तियां आमंत्रित कर जांच की गई। इस प्रकार मृतक खातेदार–पूनाराम की दो वसीयत तहसीलदार बावडी के समक्ष प्रस्तुत होने से, उन्हें उ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि के सह–खातेदारान को सूचित कर जांच की जानी आवश्यक थी, जो नही की गई व प्रकरण लंबित रखा गया।

अपीलांट–रामूराम द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में रेस्पो0सं0 1–पन्नाराम जो कि अपीलांट का सगा भाई है, ने राजीनामा कर, आपसी मनमुटाव खत्म कर, सभी भाईयों का बराबर हिस्से में नामान्तरकरण पारित करवाने का कहकर "न्याय आपके द्वार अभियान" केम्प कांट–मानसागर में प्रार्थना पत्र पेश करवाया गया। जो अपीलांट के अनपढ होने का फायदा उठाते हुए धोखे से उक्त वाद विड्रो करने का पेश कर, खारिज करवा दिया गया तथा उक्त आदेश दिनांक 15.06.2018 की प्रति तहसीलदार बावड़ी के समक्ष ना0क0 की कार्यवाही हेतु पुनः प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 08/2018 दर्ज कर इसमें पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 20.07.2018 द्वारा रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–पन्नाराम के पक्ष में निस्तारण कर दिया गया। प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व अपीलांट एवं अन्य सह–खातेदारों को नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही पुनः दर्ज प्रकरण की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा कर आपत्तियां आंमत्रित की गई तथा दोनों प्रकरणों को कन्सोलिडेट करते हुए विधिविरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने का मुख्य आधार यह प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा माननीय जिला न्यायालय जोधपुर में वादग्रस्त भूमि में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 03.10.2007 को निरस्त करने बाबत दर्ज दीवानी मूल वाद संख्या 133/2011 में पूनाराम द्वारा किए गये बेचाननामों को निरस्त कर दिया गया तथा इसी बेचाननामें की तारीफ में रेस्पो0सं0 1–पन्नाराम ने वसीयतनामा दिनांक 03.10.2007 अपने पक्ष में निष्पादित होना बताकर तहसीलदार बावडी के समक्ष नामान्तरकरण हेतु पेश किया। जब बेचाननामा ही निरस्त हो गया, तो ऐसी स्थिति मे उस बेचाननामें की तारीख में ही वसीयतनामा दिनांक 03.10.2007 संदेहास्पद है। इसके अलावा वसीयत बाबत सक्षम न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त नही किया गया है तथा दोनो प्रकरण कन्सोलिडेट करने के पश्चात सह–खातेदारों को आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत न तो समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया और नही दूसरी वसीयत धारक को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया। उक्त वसीयतनामा के साक्ष्य–नेनाराम पुत्र गोपाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज बयान में उक्त वसीयत दिनांक 03.07.2007 को स्वीकार नही किया गया है। अतः

रिवत [illegible] आयुक्त
जोधपुर

किया गया, जो प्रकरण संख्या 02/2016 दर्ज किया गया। जबकि रामसिंह नोटेरी की मृत्यु दिनांक 17.05.2009 को हो चुकी थी।

इस प्रकार रेस्पो0सं0 1 के नाम पूनाराम की वसीयत के आधार पर नामान्तरण का अपीलांट को पता चलने पर, उसके द्वारा समाज व रिश्तेदारों का दबाव बनाये जाने पर दिनांक 15.06.2008 को शिविर प्रभारी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के समक्ष मिसल तलबी व प्रार्थना पत्र जरिये विड्रो खारिज करने के निवेदन पर राजस्व वाद संख्या 206/2012 तलब कर, उक्त वाद खारिज कर दिया गया।

भागीरथराम के पक्ष में फर्जी वसीयत के संबंध में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत परिवाद में पुनाराम द्वारा निष्पादित वसीयत को फर्जी मानकर मा0 सिविल न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है।

इसी प्रकार अपीलांट ने पुनाराम द्वारा रेस्पो0सं0 1–पन्नाराम के पक्ष में निष्पादित वसीयत के संबंध में प्रस्तुत परिवाद में वसीयत को सही मानकर मा0 सिविल न्यायालय द्वारा अंतिम रिपोर्ट पुलिस स्वीकार करने पर अपीलांट द्वारा मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर महानगर में निगरानी याचिका पेश की गई, जो दिनांक 20.04.2024 को अधीनस्थ न्यायालय जोधपुर महानगर द्वारा पी/सी 06/2024 (एनसीवी 69/2021) रामुराम बनाम पन्नाराम के परिवाद में रामुराम का परिवाद अस्वीकार किए जाने की पुष्टि की गई।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय–तहसीलदार बावड़ी द्वारा मृतक पुनाराम द्वारा रेस्पो0 सं0 1–पन्नाराम के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार संपूर्ण न्यायिक प्रकिया अपना कर पन्नाराम के पक्ष में निर्णय दिनांक 20.07.2018 पारित किया गया। जो विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–भागीरथराम उर्फ भागूराम पुत्र मोतीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह आग्रह किया कि खातेदार–पूनाराम की उपरोक्त वर्णित हिस्सेनुसार खातेदारी भूमि का पूनाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.09.2010 को एक वसीयतनामा प्रार्थी–भागीरथराम के पक्ष में निष्पादित किया, जो नोटेरी पब्लिक रामसिंह राठौड़ से तस्दीक शुदा है। पूनाराम का देहांत दिनांक 22.12.2011 को हो गया। यह पूनाराम की प्रथम व आखरी वसीयत है। अतः वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण वसीयतग्रहीता–भागीरथराम के नाम स्वीकृत कराने का निवेदन

जोधपुर

किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मृतक खातेदार–पूनाराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र व वसीयतनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण संख्या 02/2016 में गवाहान–इशराम पुत्र प्रभुराम स्वयं, भागूराम पुत्र मोतीराम, हरदीनराम पुत्र किशनाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम लवेरा खुर्द के बयान कलमबद्ध किये गये तथा हल्का पटवारी से मौका फर्द रिपोर्ट तलब की गई। जिसमें नामान्तरकरण की कार्यवाही वर्ष 2016 से 2018 तक पेन्डिंग रही, इसमें जरिये समाचार पत्र में प्रकाशन आपत्तियां आमंत्रित नही की गई। रेस्पां0सं0 1 द्वारा पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण संख्या 08/2018 दर्ज कर प्रार्थी की वसीयत को संदेहप्रद बताते हुए रेस्पां0सं0 1 के पक्ष में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जबकि यह मामला एक ही पारिवार के सदस्यों का है। रेस्पां0सं0 2 ने प्रकरण संख्या 02/2013 में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी बाबत पक्षकार संयोजित करने का दिनांक 05.07.18 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर कोई आदेश पारित नही किया गया तथा प्रकरण संख्या 02/2013 में 08/2018 को कन्सोलिडेट करने का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार बावड़ी (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 135 (2) के तहत वादग्रस्त खसरान की भूमि के सह–खातेदार–पूनाराम द्वारा रेस्पां0सं0 1–प्रार्थी–पन्नाराम के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 03.10.2007 के आधार पर मृतक खातेदार पूनाराम की आराजी का नामान्तरण पन्नाराम के नाम से करने का आदेश पारित किया गया है।

वकील अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि इस मामले में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला जोधपुर द्वारा दीवानी मूलवाद संख्या 133/2011 बअनवान रामूराम बनाम पुनाराम वगैरा में दावा बावत निरस्त करने बेचाननामा एवं स्थायी निशेधाज्ञा में पारित आदेश दिनांक 24.12.2011 के बिन्दु सं0 1 में–प्रतिवादी संख्या 1 (पुनाराम) के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 (हीराराम व श्रवणराम) के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.10.2007 शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाकर निरस्त किया गया है तथा बिन्दु सं0 2 में–प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि में से किसी हिस्से को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने का आदेश पारित किया गया है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इसी बेचाननामों की तारीख में रेस्पो0सं0 1–पन्नाराम ने वसीयतनामा दिनांक 03.10.2007 को अपने पक्ष में निष्पादित होना बताकर तहसीलदार बावडी के समक्ष नामान्तरण हेतु पेश किया। जब बेचाननामा ही निरस्त हो गया, तो ऐसी स्थिति मे उस बेचाननामें की तारीख में ही वसीयतनामा दिनांक 03.10.2007 संदेहप्रद एवं प्रभाव शून्य है। जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा प्रोबेट नही करवाया गया है। इसके अलावा उक्त वसीयतनामा के साक्ष्य–नेनाराम पुत्र गोपाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय–तहसीलदार बावड़ी के समक्ष दर्ज बयान में उक्त वसीयत दिनांक 03.07.2007 को स्वीकार नही किया गया है। इस स्थिति में उक्त वसीयतनामे के आधार पर रेस्पो0सं0 1–पन्नाराम के पक्ष में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2018 अपास्त योग्य है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावड़ी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2018 (पुराने प्रकरण सं0 02/2013) एवं कन्सोलिडेट प्रकरण संख्या 02/2016 में 'अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर, 1956 वास्ते अपंजीकृत वसीयतनामा से नामांतरण स्वीकृत करने बाबत' पारित निर्णय दिनांक 20.07.2018 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9-12-25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

9-12-25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर